

पत्र संख्या - कमि० वा० क० (आई० टी० अनुभाग)/ मानव सम्पदा / 2019-2020 / 1160 / वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ  
(आई० टी० अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अगस्त 01-09, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

इस कार्यालय के पत्र संख्या- 835 दिनांक 22-07-2019 द्वारा मानव सम्पदा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित डाटा (सर्विस रिकार्ड, जी० पी० एफ० रिकार्ड, वार्षिक मन्तव्य इत्यादि) दिनांक 16-08-2019 तक ऑन लाइन फीड तथा वेरीफाई किये जाने के निर्देश दिए गए थे। खेद का विषय है कि अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

मानव सम्पदा की प्रगति रिपोर्ट देखने पर पाया गया की विभागीय कार्यरत जनशक्ति के सापेक्ष कुल 8220 अधिकारियों / कर्मचारियों की डाटा फीडिंग का कार्य किया जा रहा है व केवल 2640 अधिकारियों / कर्मचारियों के फॉर्म का वेरिफिकेशन किया गया है। अतः आपको अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त फीडिंग एवं वेरिफिकेशन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 30-09-2019 तक पूर्ण कराना एवं साथ ही फीड किये जा चुके फॉर्म के PDF फाइल के प्रिंट आउट को सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी के स्वयं के हस्ताक्षर के उपरांत उसकी व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित कराना, जिन अधिकारियों / कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्यत्र हो चुका है उनके नाम, पदनाम, ehms emp id और स्थानांतरण का स्थान की सूची ज्वाइंट कमिश्नर (आई० टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे उनके ID उनके अद्यतन तैनाती स्थान पर ट्रान्सफर किये जा सकें। इसी प्रकार जिन अधिकारियों / कर्मचारियों के डुप्लीकेट ID generate हो गए हैं, तो उनकी सूची भी ज्वाइंट कमिश्नर (आई० टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे डुप्लीकेट ID डिलीट की जा सकें। (प्रारूप संलग्न)

डाटा वेरिफिकेशन के उपरान्त किसी प्रकार का संशोधन किये जाने के लिए "Service Book e-correction" का रोल दिया जाना होगा। सेवा अभिलेख में संशोधन संवेदनशील होने के कारण जोनल एडिशनल कमिश्नर, आहरण वितरण अधिकारी को अथवा किसी अन्य अधिकारी को इस हेतु नामित करेंगे। नामित अधिकारी को "Service Book e-correction" का रोल आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल से दिया जायेगा। किसी प्रकार की पृच्छा/समस्या निराकरण के लिए श्री नरेश बहादुर, प्रधान सहायक से 9305376396 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक:- प्रारूप

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि— (1) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रस्तर 2 के अनुसार कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

(2) समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

(अरविन्द कुमार)

ज्वाइंट कमिश्नर (आई०टी०), वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।

0/c